न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2022/167

(1). भवंरलाल पिता पन्नालाल जाति गूर्जर निवासी ढीकोली तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी(राज0)।
(2). शांतिबाई पुत्री पन्नालाल जाति गूर्जर निवासी ढीकोली तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी(राज0) ।मृतक के बजाय–
2/1. उर्मिला पुत्री स्वर्गीय शातिबाई एवं गोपाल जाति गूर्जर निवासी ढीकोली तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी।
2/2. सुशीला पुत्री स्वर्गीय शातिबाई एवं गोपाल जाति गूर्जर निवासी ढीकोली तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी।
2/3. हंसा बाई पुत्री स्वर्गीय शातिबाई एवं गोपाल जाति गूर्जर निवासी ढीकोली तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी।
2/4. हंसराज पुत्र स्वर्गीय शातिबाई एवं गोपाल जाति गूर्जर निवासी ढीकोली तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी।

– अपीलांटगण

बनाम

(1). मोड़ू पिता भूरा जाति गूर्जर निवासी ढीकोली पोस्ट रोटेदा तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी(राज0) ।मृतक के बजाय–
1/1. कन्हैयालाल पिता मोड़ू जाति गूर्जर निवासी ढीकोली तहसील केशोरायपाटन बून्दी(राज0)।
1/2. बजरंगलाल पिता मोड़ू जाति गूर्जर निवासी ढीकोली तहसील केशोरायपाटन बून्दी(राज0)।
1/3. गीता बाई पुत्री मोड़ू जाति गूर्जर निवासी ढीकोली तहसील केशोरायपाटन बून्दी(राज0)।
1/4. दाखाबाई विधवा मोड़ू जाति गूर्जर निवासी ढीकोली तहसील केशोरायपाटन बून्दी(राज0)।
(2). घनश्याम पिता ओंकार जाति गूर्जर निवासी ढीकोली तहसील केशोरायपाटन बून्दी(राज0)।
(3). राधेश्याम पिता ओंकार जाति गूर्जर निवासी ढीकोली तहसील केशोरायपाटन बून्दी(राज0)।
(4). राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केशोरायपाटन तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–(1). नरेन्द्र गुप्ता– अधिवक्ता अपीलांटगण
(2). घनश्याम नागर– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 2, 3
(3). पैरोकार सरकार– रेस्पोडेन्ट 4

निर्णय **दिनांक 17.01.2023**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशोरायपाटन, जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 23/दावा/2011 मे पारित अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.10.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा ढीकोली तहसील केशोरायपाटन की खाता संख्या 39 मे दर्ज आराजी संख्या 30, 31, 38, 39, 40, 41, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 223, 365, 382, 446, 503 कुल किता 20 कुल रकबा 10.51 हैक्टेयर स्थित होकर दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात मे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/3, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 का 1/3 हिस्सा निहित है। वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्वयं के निहित हिस्से पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। अन्त मे उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात का विधिवत बंटवाड़ा किया जाकर उक्त वर्णित आराजीयात मे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हिस्से को पृथक से खातेदारी मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से जवाबदावा मय विशेष चरण प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षकारान के अभिवचनों के अनुसार पत्रावली मे तनकीयात कायम की गई। तत्पश्चात उभयपक्षकारान द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत की गई। उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर दिनांक 07.08.2006 को उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के बंटवाड़े की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई एवं तहसीलदार केशोरायपाटन को उक्त आराजीयात का बंटवाड़ा प्रस्ताव पेश किये जाने हेतु आदेशित किया गया। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे तहसीलदार केशोरायपाटन की ओर से फर्द बंटवाड़ा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 29.04.2008 को उक्त वर्णित विवादित आराजीयात के बंटवाड़े की अंतिम डिक्री पारित की जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से अपील न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत हुई। अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 29.04.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 31.01.2011 को आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विद्वान विचारण न्यायालय को प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय के निर्देशानुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। विवादित आराजीयात का फर्द बंटवाड़ा पुनः तलब किया गया। दिनांक 18.04.2013 को तहसीलदार से प्राप्त विवादित आराजीयात का फर्द बंटवाड़ा शामिल पत्रावली किया गया। उक्त फर्द बंटवाड़े के अनुसार उभय पक्षकारान को सहमत होना बताकर दिनांक 06.05.2013 को उक्त वर्णित विवादित आराजीयात के विभाजन की प्राथमिक डिक्री के अनुसार अंतिम निर्णय व डिक्री पारित किये जाने का आदेश पारित किया गया । दिनांक 01.10.2013 को उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के बंटवाड़े की अंतिम डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 01.10.2013 से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे मियाद बाहर प्रस्तुत की है।

5. अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण संख्या 2, 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्टगण संख्या 4 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की।

6. अपीलांटगण की ओर से अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की। अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मे अपीलांटगण को निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं होना अंकित किया है तथा सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 03.06.2022 को जमाबंदी की ऑनलाइन प्रति प्राप्त करने पर होना अंकित किया है।

7. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांटगण ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात मे अपीलांटगण का 1/3 हिस्सा मानकर उक्त वर्णित आराजीयात के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांटगण को बिना सूचना दिये व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांटगण की अनुपस्थिति मे विभाजन प्रस्ताव तैयार किय गया है। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांटगण को आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 01.10.2013 पारित की है जो न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि तहसीलदार केशोरायपाटन से उक्त वर्णित आराजीयात का विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया जिस पर तहसीलदार केशोरायपाटन ने स्वयं मौके पर उपस्थित नहीं होकर अपने अधीनस्थ कर्मचारी पटवारी हल्का द्वारा अपीलांटगण को सूचित किये बगैर विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रेषित कर दिया। पटवारी हल्का को विभाजन प्रस्ताव की रिपोर्ट तैयार करने का कोई अधिकार नहीं था। उक्त विभाजन प्रस्ताव सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार नहीं किये जाने से अवैध एवं त्रुटिपूर्ण है। उक्त अवैध व त्रुटिपूर्ण विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 01.10.2013 को एकपक्षीय अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 01.10.2013 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत व अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 3 व 5 मौजा ढीकोली तहसील केशोरायपाटन आराजी संख्या 141 रकबा 0.98 हैक्टेयर मे सम्पूर्ण भूमि पर तन्हा रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, उक्त भूमि को विभाजन अनुसार अपीलांटगण हिस्से मे दर्ज किया जाना आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 01.10.2013 मे अपीलांटगण के कब्जे काश्त वाली उक्त आराजी को विभाजन से रेस्पोडेन्ट के हिस्से मे दर्ज किये जाने मे त्रुटि की है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बंटवाड़ा नियम 18 से 21 की पालना किये बगैर पक्षकारान के कब्जे वाले भाग को ध्यान मे रखे बिना निर्णय व डिक्री पारित की है जो न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2017 आर.बी.जे. पेज 299, आर.आर.डी. 1998 पेज 319 प्रस्तुत किया गया। अन्त मे अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.10.2013 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

8. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 29.04.2008 एवं अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 23.12.2008 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने न्यायालय हाजा मे अपील प्रस्तुत की। उक्त अपील न्यायालय हाजा द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 23.12.2008 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वह पक्षकारान के कब्जे वाले भाग को ध्यान मे रखते हुए, बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन करते हुए, बंटवाड़ा नियम 18 से 21 की पालना करते हुए, एवं विभाजन प्रस्ताव पर सभी पक्षकारान को सुनवाई व आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए अंतिम निर्णय व डिकी पारित करे। न्यायालय हाजा के उक्त निर्देशों की पालना मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात का विभाजन प्रस्ताव पुनः तलब किया गया, जिसकी पालना मे तहसीलदार केशोरायपाटन ने न्यायालय हाजा के निर्देशानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया। तहसीलदार से प्राप्त उक्त विभाजन प्रस्ताव से सभी पक्षकारान सहमत होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात के बंटवाड़े की दिनांक 01.10.2013 को अंतिम निर्णय व डिकी पारित की। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 01.10.2013 के अनुसार अपीलांटगण के हिस्से की आराजीयात राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज हो जाने के उपरांत अपीलांटगण ने अपने हिस्से की आराजीयात को बैंक मे रहन रखकर ऋण प्राप्त किया है। इस प्रकार अपीलांटगण को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 01.10.2013 की भली भांति जानकारी होते हुए भी लगभग 9 वर्ष के लम्बे समय बाद अपील प्रस्तुत की है। अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मे अंकित कथन असत्य होने से स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.बी.टी. 2010 पेज 289, आर.बी.टी. 2005 पेज 164 प्रस्तुत किया। अन्त मे अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 01.10.2013 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

9. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड एवं उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत वाद सन् 2000 को संस्थित किया गया। प्रश्नगत आराजीयात के संबंध मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 07.08.2006 को प्राथमिक डिकी पारित की जाकर दिनांक 29.04.2008 को अंतिम निर्णय पारित किया जाकर दिनांक 23.12.2008 कों अंतिम डिकी पारित की गई। अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 29.04.2008 को न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 31.01.2011 के द्वारा निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 04.01.2012 पर अंकित है कि प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 3 ही अपीलांट संख्या 1 है। अधीनस्थ न्यायालय मे प्रकरण प्रतिप्रेषित होने के पश्चात अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात का विभाजन प्रस्ताव पुनः तलब किया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान की सहमति होना अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 18.04.2013 पर अंकित है। यहाँ यह स्पष्ट है कि प्रकरण पूर्व मे दिनांक 31.01.2011 को प्रतिप्रेषित किया गया था तथा अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय मे हुई कार्यवाही का संज्ञान था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादपत्र के विचाराधीन रहते हुए अपीलांटगण ने स्वयं के हिस्से

की आराजीयात को बैंक मे रहन रखा जाकर ऋण भी प्राप्त किया है। अपीलांटगण की ओर से दिनांक 12.07.2022 को अर्थात लगभग 8 वर्ष 9 माह पश्चात अपील प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मे अभिलिखित तथ्य जिसमे अपीलांटगण को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 01.10.2013 की जानकारी नहीं होने का कथन गया है, जो संदेहास्पद है। अपीलांटगण का यह कथन विश्वसनीय नहीं है कि उन्हे प्रकरण की जानकारी दिनांक 03.06.2022 को हुई। प्रश्नगत निर्णय एवं डिकी अपीलांटगण की जानकारी मे थी। प्रस्तुत अपील लगभग 8 वर्ष 9 माह के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। धारा 5 के प्रार्थना पत्र मे विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण अपीलांटगण सिद्ध नहीं कर पाए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मे अधीनस्थ न्यायालय से राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय मे अपील प्रस्तुत करने की अवधि 60 दिवस निर्धारित की गई है। प्रकरण प्रारंभ से ही अपीलांटगण की जानकारी मे था। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिकी दिनांक 01.10.2013 की अपील दिनांक 12.07.2022 को पेश की गई है। इतने वर्षो बाद अपील प्रस्तुत करना स्वयं अपीलांटगण की लापरवाही है । अतः लगभग 8 वर्ष 9 माह के विलम्ब की लम्बी अवधी क्षम्य नहीं है। गंभीर विलम्ब का कोई पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण भी अपलांटगण साबित नहीं कर पाए है अतः अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 अस्वीकार किया जाता है। अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील गंभीर रूप से अवधी बाधित होने से अस्वीकार की जाती है। अतः आगे और गुणावगुण के आधार पर विवेचन की आवश्यकता नहीं है। सन् 2000 में संस्थित वाद को बिना किसी ठोस आधार के पुनः प्रतिप्रेषित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 17.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा(राज0)

अपील में डिक्री
(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या– 2022/167

(1). भवंरलाल पिता पन्नालाल जाति गूर्जर निवासी ढीकोली तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी(राज0)।
(2). शांतिबाई पुत्री पन्नालाल जाति गूर्जर निवासी ढीकोली तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी(राज0) ।मृतक के बजाय–
2/1. उर्मिला पुत्री स्वर्गीय शातिबाई एवं गोपाल जाति गूर्जर निवासी ढीकोली तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी।
2/2. सुशीला पुत्री स्वर्गीय शातिबाई एवं गोपाल जाति गूर्जर निवासी ढीकोली तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी।
2/3. हंसा बाई पुत्री स्वर्गीय शातिबाई एवं गोपाल जाति गूर्जर निवासी ढीकोली तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी।
2/4. हंसराज पुत्र स्वर्गीय शातिबाई एवं गोपाल जाति गूर्जर निवासी ढीकोली तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी।

– अपीलांटगण

बनाम

(1). मोडू पिता भूरा जाति गूर्जर निवासी ढीकोली पोस्ट रोटेदा तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी(राज0) ।मृतक के बजाय–
1/1. कन्हैयालाल पिता मोडू जाति गूर्जर निवासी ढीकोली तहसील केशोरायपाटन बून्दी(राज0)।
1/2. बजरंगलाल पिता मोडू जाति गूर्जर निवासी ढीकोली तहसील केशोरायपाटन बून्दी(राज0)।
1/3. गीता बाई पुत्री मोडू जाति गूर्जर निवासी ढीकोली तहसील केशोरायपाटन बून्दी(राज0)।
1/4. दाखाबाई विधवा मोडू जाति गूर्जर निवासी ढीकोली तहसील केशोरायपाटन बून्दी(राज0)।
(2). घनश्याम पिता ओंकार जाति गूर्जर निवासी ढीकोली तहसील केशोरायपाटन बून्दी(राज0)।
(3). राधेश्याम पिता ओंकार जाति गूर्जर निवासी ढीकोली तहसील केशोरायपाटन बून्दी(राज0)।
(4). राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केशोरायपाटन तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

बनाराजगी अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.10.2013 परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशोरायपाटन, जिला बून्दी ।

वाद संख्या: 23/दावा/2011

(1). मोडू पिता भूरा जाति गूर्जर निवासी ढीकोली पोस्ट रोटेदा तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी(राज0)।

– वादी

बनाम

(1). राधेश्याम पिता ओंकार जाति गूर्जर निवासी ढीकोली तहसील केशोरायपाटन बून्दी(राज0)।
(2). घनश्याम पिता ओंकार जाति गूर्जर निवासी ढीकोली तहसील केशोरायपाटन बून्दी(राज0)।
(3). भवंरलाल पिता पन्नालाल जाति गूर्जर निवासी ढीकोली तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी(राज0)।
(4). राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केशोरायपाटन तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी(राज0)।
(5). शांतिबाई पुत्री पन्नालाल जाति गूर्जर निवासी ढीकोली तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी(राज0)।

–प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशोरायपाटन, जिला कोटा द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 01.10.2013 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त अपील तारीख 17.01.2023 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री नरेन्द्र गुप्ता, एवं रेस्पोडेन्ट कम 2, 3 की ओर से अभिभाषक श्री घनश्याम नागर, तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित होने पर यह आदेश दिया कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित होने के कारण खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 01.10.2013 यथावत रखा जाता है।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 17.01.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा